Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी अंशु उर्फ अजय को हुई 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अंशु उर्फ अजय पुत्र सतवीर निवासी ग्राम सौटा थाना बाबरी जनपद शामली के विरुद्ध थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 331/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 05.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी द्वितीय जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त अंशु उर्फ अजय को हुई 05 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

श्री इन्द्रपाल एडीजीसी जनपद बागपत

का0 हरदीप कोर्ट पैरोकार थाना छपरौली

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

BAGHPAT POLICE

थाना खेकडा साइबर सेल टीम, जनपद बागपत

थाना खेकडा साइबर सेल, जनपद बागपत के द्वारा एक व्यक्ति के खाते से 2384/- रुपये की ऑनलाइन धोखाधडी के सम्पूर्ण 2,384/- रूपये वापस कराये गये–

पीड़ित हर्ष पुत्र नरेन्द्र नि0 कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत के खाते से आँनलाइन 2,384/- रुपये की धोखाधड़ी होने के सम्बन्ध मे NCRP पोर्टल पर ACKNOWLEDGEMENT नं0 23111250190243 शिकायत प्राप्त हुई । शिकायत प्राप्त होने पर थाना खेकडा साइबर सेल टीम प्रभारी उ0नि0 श्री नितिन कुमार द्वारा शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, पीडित के बैंक खाते से आँनलाइन धोखाधडी की सम्पूर्ण धनराशि 2,384/- रुपयों को वापस कराया गया ।

रुपये वापस मिलने पर पीड़ित द्वारा थाना खेकडा जनपद बागपत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया ।

क्र0सं0	थाना	प्रा0 पत्र सं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	थाना खेकड़ा	23111250190243	2,384/-

प्रेस नोट जनपद बागपत दिनाँक 05.12.2025

बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अश्वनी उर्फ चुन्नु पुत्र उदयवीर सिंह निवासी ग्राम जौहडी जनपद बागपत।

2-संदीप पुत्र जग्गू उर्फ जगदीश निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत S।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम। (01 वारंटी)

2-थाना बिनौली पुलिस टीम। (01 वारंटी)